पंचम माला, खंड 61 अंक 40
Fifth Series, Vol. LXI No. 40

सोमवार, 17 मई, 1976/27 वैशाख, 1898(शक)
Monday, May 17, 1976/Vaisakha 27, 1898 Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

संख्या 40—सोमवार, 17 मई, 1976/27 वैशाख, 1898 (शक)
No. 40—Monday, May 17, 1976/Vaisakha 27, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers laid on the Table**	1–3
राज्य सभा से संदेश	**Messages from Rajya Sabha**	3
राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक—	**Bill as passed by Rajya Sabha—**	
वित्त विधेयक, 1976	Finance Bill, 1976—	3–26
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	3–4
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	4
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	4–5
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	5–6
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey	6
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	6–7
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey—	7
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	7–9
खण्ड 2 से 43 और 1	**Clauses 2 to 43 and 1**	9–25
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	25
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	26
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	25–26
कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक	**Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill**	26–35
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	26–27
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	27–28
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	28
श्री रानेन सेन	Shri Ranen Sen	28
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	29
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	29

1—4 LSS[ND]/76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	29
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	30
श्री एस० सी० बेसरा	Shri S. C. Besra	30
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	30
खण्ड 2 से 4 और 1—	**Clauses 2 to 4 and 1—**	
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	**Motion to pass, as amended**	
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	30–35

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार 17 मई, 1976/27 वैशाख, 1898 (शक)
Monday, May 17, 1976/Vaisakha 27, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन का 'शुद्धि पत्र'

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 10857/76]**

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं श्री शाह नवाज खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन का 'शुद्धिपत्र'। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 10858/76]**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 317 (ङ), सां० सा० नि० 318 (ङ) और सां० सा० नि० 319 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10859/76]**

तमिलनाडु वाणिज्यिक फसल मूल्यांकन अधिनियम, 1976

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं श्री अण्णासाहेब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(4) तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु वाणिज्यिक फसल मूल्यांकन अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 5) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10860/76]**

उत्तर प्रदेश और जम्मू और काश्मीर राज्य कृषि-उद्योग निगमों के क्रमशः वर्ष 1974-75, 1971-72 और 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन, एक विवरण और दन्त प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(5) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड-लखनऊ का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10861/76]

(दो) जम्मू तथा काश्मीर राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) जम्मू तथा काश्मीर राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 10862/76]

(चार) उपर्युक्त (दो) और (तीन) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सिक्किम वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) नियम, 1976, जो दिनांक 1 मई 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 312 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्किम वन्य प्राणी (संव्यावहार तथा चर्मप्रसाधन) नियम, 1976, जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसचना संख्या सा० सां० नि० 313 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10863/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लखे

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(7) प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल०टी० 10864/76]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देती है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 12 मई, 1976 की अपनी बैठक में विवाह विधि (संशोधन), विधेयक, 1976 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 12 मई, 1976 की अपनी बैठक में टैरिफ आयोग (निरसन) विधेयक, 1976 पास किया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 12 मई, 1976 की अपनी बैठक में वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है।

(चार) कि राज्य सभा ने 12 मई, 1976 की अपनी बैठक में भेषजी (संशोधन) विधेयक 1976 पास किया है।

महासचिव : मैं निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

(2) टेरिफ आयोग (निरसन) विधेयक, 1976

(3) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1976

(4) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1976

वित्त विधेयक, 1976—(जारी)
FINANCE BILL, 1976—(*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : : अब सभा में वित्त विधेयक पर चर्चा की जायेगी जिसके लिए 11 घंटे आवंटित किये गये हैं। 9 घंटे तो बीत ही गये है और 2 घंटे रह रहे हैं। वित्त मंत्री 12 बजे वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

Shri Hari Singh (Khurja) : Sir, it is a matter of satisfaction that a result of the new economic policy pursued by the Government and the unearthing of black money under the 20 point programme gloom as well as despondency have completely vanished and today there is an atmosphere of hopefullness alround. This is the first year when instead of taking loans from abroad we have earned a substantial amount of foreign exchange through exports.

[Shri Hari Singh]

Our relations with some of the neighbouring countries which had been strained for sometime have considerably improved. There has been improvement even in our relations with China.

I represent predominantly an agricultural area where wheat is the main crop. But for some time it is facing an economic crisis because the farmer has to sell their wheat at a very cheap rate. The payment is also not made in time. It is high time Government should pay attention to the difficulties being faced by the farmers so that they may be encouraged to produce more and make the country self-sufficient.

There is great need for mobilising the resources in the country. Recently the Government have taken a decision to earn revenue by printing advertisements on postal stationery. They should also think of earning something by fixing some price for the cheque books which are issued free by the banks. Even if you are charge 10 paise per book Government will be able to earn crores of rupees.

Government should also think of doing away with the disparities in incomes. Even today some people are earning lakhs of rupees per day, there are others who are hardly able to earn two square meals. Some concrete steps should be taken to prevent concentration of wealth and for its even distribution in various sections of the society.

The sugar mills are not being run efficiently. They should be nationalised.

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol) : The Finance Minister deserves to be congratulated for adopting a realistic attitude in regard to this year's budget. The relief given in direct and indirect taxes has been widely welcomed. The food situation has also been checked. As a result of which prices have come down.

Tribal population has increased considerably. We must make more efforts for their development because their development is vital for the country. Therefore top priority should be given to the improvement of living conditions of these people. Small industries should be set up in the Rewa Division of Madhya Pradesh and banking, medical and irrigation facilities should also be provided there.

The programme for increasing food production and the steps being taken to meet the needs of the consumers are welcome. Government should also ensure that the small farmers in adivasi areas get the articles of daily use at cheap rates.

A special corporation should be set up to purchase the agricultural produce. Also small and less costly tractors should be manufactured so that small farmers may also be able to purchase them.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I congratulate the Finance Minister for strengthening the economic position of the country. During the one year of emergency the country has made much progress. So it should be continued for ten years.

People in our country have great fascination for gold. Gold worth about 25 thousand crores of rupees is hidden under earth. This should be unearthed and be utilized for the development of the country.

Although minimum wages have been fixed for landless labour under the 20 point programme but landless labour is not being benefited due to the recalcitrant attitude of zamindars. The Government will have to be very strict in this regard. Those who do not pay minimum wages should be dealt with strictly. If some of them are arrested under MISA, it will have a salutory effect on others.

There is no dearth of natural resources in the country. If they are properly utilized, the country can become prosperious. Unfortunately about 10 million tons of wood is burnt by the people in their houses. At least in the big cities this practice should be stopped. Coal can easily replace wood. Use of coal should be made compulsory.

We should also try to change the food habits of the people. We should provide one bakery and one flour mill for every 5 lakhs of people.

श्री ई० आर० कृष्णन (सेलम) : वित्त मंत्री द्वारा सभा में जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया हैं उससे तथा चर्चाधीन विधेयक के फलस्वरुप 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में काफी सहायता मिलेगी

यह हर्ष का विषय है कि कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन दोनों में आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है। अब कमी के दिन लग गये और बहुतायत का समय आया है। इस एक वर्ष में सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने का स्वागत होना चाहिये।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, कृषकों को अपेक्षित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। सरकार को चाहिए कि किसानों को कृषि सहायक वस्तुओं, विद्युत, बीजों की सुधरी किस्में, उर्वरक कीटनाशी दवाइयां आदि निःशुल्क प्रदान करे। बदले में सरकार उनसे एक तिहाई या एक चौथाई उपज ले सकती है। ऐसा करने से किसान की प्रमुख समस्याएं हल हो जायेंगी। कृषि पैदावार भी बढ़ेगी।

आयकर की अधिकतकम दर में कमी करने से उद्योगों में निवेश की राशि बहुत बढ़ जायेगी। उद्योगपति इन प्रोत्साहनों से लाभ उठायेंगे और नये औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए आगे आयेंगे।

आयकर से छूट की राशि 8,000 ० से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाए। इससे कर-दाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ होने की संभावना है। आयकर अपवंचन भी कम हो जायेगा। आयकर विभाग भी बड़े बड़े लोगों पर ध्यान केन्द्रित कर सकेगा जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।

कीमतों में कमी का मुख्य कारण स्वेच्छया प्रकटन योजना है जिसके अन्तर्गत 1,580 करोड़ पये का काला धन निकला है। इस धन के परिचालन से रूकने से मुद्रास्फति की विस्तार क गया और मूल्यों में कमी हुई। यदि चालू वर्ष के दौरान भी छापे मारने की गतिविधिया तेज रही और छिपे धन के पता लगने की राशि 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी तो मूल्य वृद्धि स्थायी रुप से रूक जायेगी और मुद्रास्फिति की वृत्ति का भी खातमा हो जायेगा।

सरकार यदि देश की अर्थ व्यवस्था से काले धन को समाप्त करना चाहती है तो निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

[श्री ई० आर० कृष्णन]

रिजर्व बैंक ने हाल ही में निदेश दिया है कि बैंकों द्वारा शेयरों पर लाभांश 12 प्रतिशत से अधिक न दिया जाये । शेअर खरदने वाले इससे हतोत्साहित हुए है । इससे बैंकों में जमा राशि में भी कमी होगी । अतः लाभांश की दर बढ़ाई जाये ।

यदि प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सफल बनाना है जो जनता को इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया जाये । यह कार्यक्रम सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाये ।

विद्युत और सिंचाई के विषय केन्द्र के पास ही रहने चाहिये । सभी नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित किया जाये । सम्पूर्ण विद्युत का उत्पादन भी केन्द्र द्वारा ही किया जाये ।

ग्रामीण लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें आसान दरों पर और आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक खोले ।

जहांतक तमिलनाडु का प्रश्न है वहां सलेम इस्पात संयंत्र की कम से कम जरूरत 16.4 करोड़ रुपये की है । इस बजट में केवल 3 करोड़ रुपय की मंजूरी दी गई है । केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त राशी स्वीकार करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के विकास के लिए सेतुसमुद्रम नदी परियोजना नेवेली तापीय संयंत्र कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि को भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : The last year was the year of big achievements. Not only food production went up and price of food grains reduced but inflation also came under control and was contained. The country has widely welcomed the 20 point programme of the Prime Minister. Under her able leadership there has been all round progress.

This is perhaps the first time when Government have given priority to the development of rural areas and an integrated development scheme has been prepared for which a provision of Rs. 15 crores has been made in the budget. Under this scheme water, hybrid seeds, fertilizers and pesticides will be made available to the farmers so that they may be able to increase production. In this respect it is very necessary to settle all the river water disputes which will result in the maximum utilization of water resources.

As regards the major problem of unemployment more and more industries will have to be set up in the rural areas. Necessary infra-structure should also be built up.

Although we have a number of rivers in Madhya Pradesh yet the irrigation percentage in the state is much lower than Punjab and Haryana. In M.P. it is only 8 percent. This percentage is inadequate to feed the whole state. More water should be provided to the state so that it is able to step up production of food grains.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : Much has been said about the progress made by the country in various fields. But the conditions in the rural areas are not better than before. During the last 25 years there is no real improvement in the living standards. They continue to groan under the problems of illiteracy, unemployment, police atrocities and corruption. Whatever the Government may say there is nothing remarkable about the rural population. Of course there has been some increase in food production. But what price is the farmer getting for his produce. Is it not fact that while the prices of food grains have fallen sharply, the prices of agricultural inputs have increased con-

siderably. Under these conditions how will the farmers be encouraged to produce more. That is why during the next two or three years about 30 percent farmers will be leaving agriculture and move to the cities.

Again much has been said about the 20 point programme. But it is nothing more than a farce. What really needed is to create duty conciousness and discipline among the people. But the Government have not been able to do it at all. This sense cannot be brought about by force. The net result of the policies followed by the Government has been that all democratic values have been completely annihilated and incidents of crime are growing in the country. I am not against the 20 point programme but people's participation is necessary to make it successful.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): We had expected that during this emergency a new type of budget would be presented. But we have found that it has not been so and it continues to be pro-capitalist.

While the prices of agricultural products heve gone down there has been no fall in the prices of industrial products. As a result. the difficulties of the farmers have increased.

As regards the 20 point programme. It is no doubt intended to help the weaker section but its implementation has not been proper and effective. Whatever land is being given it is only on paper. Similarly no concrete steps are being taken to solve the problem of the wavers.

The 20 point programme meant to ameliorate the lot of the downtrodden and the weaker sections of society has not succeeded in its aim due to the high-handed attitude of bureaucracy and management of industries who, on the pretext of bringing about efficiency, are exploiting the labour and therefore there is much resentment among them. Due to emergency, there are restrictions on newspapers, processions and meetings are banned. There should be some way out of this situation.

Regarding family planning drive, it has been claimed that there is no element of compulsion but coersion is openly been used to enforce sterilisation, so much so even sadhus are being lured to undergo these operations. Government should ensure that the element of compulsion is not brought with this programme.

It is not only strange but ridiculous also that the unemployed youth of the country is being asked to participate in cleanliness and van mahotsva drives. It is nothing short of making fools of them. Some concrete programme should be chalked out for them so that they get adequate employment and poverty is eradicated from the country.

I do not understand what stands in the way of Government going in for nationalisation of sugar industry? No doubt, emergency has brought certain salutory changes in society but on the other hand, poverty, injustice and corruption. People are feeling a stiffling atmosphere in the country. Instead, these powers should be used against country's enemies.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस समय मैं केवल वित्त विधेयक के उपबन्धों की ही चर्चा करूंगा क्योंकी बजेट तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर मेरे मित्र श्री प्रणव मुखर्जी ने अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समुचित उत्तर दे दिया है।

सबसे पहले मैं निवेश-छट के बारे में बताना चाहता हूं। श्री एच० एम० परेल की यह हैरानी थी कि खान उद्योग और निर्यात-प्रधान उद्योगों को छोड़ दिया गया है, श्री साल्वे

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

ने तो उस आधार को ही चुनौती दी है जिसके कारण उद्योगों को आयकर अधिनियम की नवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी उद्योगो को निवेश भत्ता दिया जाये। कोई भी रियायत देने से पूर्व समूचो अर्थ व्यवस्था पर होने वाले लाभकारी प्रभाव की जांच की जानी चाहिए। हमने संक्षेप रूप में ऐसा ही किया है। नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उद्योगों की सूचो बनाते समय सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच की गई और उन्हीं उद्योगो को शामिल किया गया जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते थे। सूची इसी प्रकार बनाई गयी। सूची तदर्थ आधार पर नहीं बनाई गयी इसके अतिरिक्त बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप विषय पर लगातार विचार किया जाता रहेगा और प्रतिवर्ष उसमें उचित परिवर्तन किये जा सकेंगे।

आदिवासियो को रायल्टी से होने वाली आय पर व्यय के राशिको घटाकर कुल आय कर लगाया जाता है। विदेशी कम्पनियों को करार के अन्तर्गत होने वाली आय पर 52.5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। वित्त विधेयक में पहली अप्रैल, 1976 या उसके बाद होने वाले करारों के अन्तर्गत मिलनेवाली रायल्टी की राशि पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव है, तथापि इस तिथि से पहले हुए करारों के अन्तर्गत मिलने वाली रायल्टी की राशि पर 52.6 प्रतिशत की दर से ही कर लगाया जाता रहेगा।

यह कहा गया कि तकनीकी जानकारी देने वाली कम्पनियों ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति से इस आधार पर यह करार अथवा रायलटी की एक मुश्त राशि लेने के प्रस्ताव को अन्तिम रुप दिया था कि इस प्रकार के भुगतानों को कर से छूट रहगी। ऐसे मामलों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं 1 अप्रैल, 1976 से पहले हुए स्वीकृत करारों के अन्तर्गत किए गए एक-मुश्त भुगतान पर कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। 31 मार्च, 1976 के बाद हुए करारों के अन्तर्गत किए गए एसे एक मुश्त भुगतानों को कम्पनी की इच्छा पर इसी के समान माना जाएगा यदि करार पहली अप्रैल, 1976 के पहले केन्द्र द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार किया गया है। जो कम्पनी प्रस्तावित उपबन्धों के अनुसार अपनी इच्छा व्यक्त कर देती है वे अपनी शेष रायलटी पर वर्तमान दरों के अनुसार आय कर देती रहेंगी।

वित्त विधेयक के एक अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत एक अनिवासी द्वारा भारत में व्यापार अथवा व्यवसाय या किसी स्त्रोत से आय करने के लिए ऋण अथवा धन उधार लेने पर दिए जाने वाले ब्याज को भारत में दिया ब्याज माना जाएगा। यह भी कहा गया है कि भारत में व्यापार के लिए एक अनिवासी द्वारा दूसरें अनिवासी से लिये गये ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर कर लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह कराधान के क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ाना है। अतः मैं इस प्रकार एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को दिए जाने वाले ब्याज को कर से छूट देता हूं।

इस बात पर गहरा रोष प्रकट किया गया है कि वकीलों और सालिसिटरों की बकाया फीस को कर से छूट दी गई है जबकि अन्य व्यवसायों को इसके अन्तर्गत नहीं रखा गया है। इस सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर हमने सावधानी से विचार कर यह निर्णय किया था। तथापि यदि किसी व्यवसाय वाले यह सिद्ध कर सकें कि हमारा मामला भी छूट दी जाने वाले वर्ग के जैसा ही है तो मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करूंगा।

कुछ सदस्यों ने कागज, ट्रैक्टरों, कुछ कृषि उत्पादों और साइकिलों पर उत्पादन शल्क में और रियायत दिए जाने का अनुरोध किया है। मैंने इसकी जांच की है परन्तु मैं उनका अनुरोध मानने में असमर्थ हूं क्योंकि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में पहले ही पर्याप्त रियायत दी जा चुकी है।

मैं इस बात को मानता कि कृषि और औद्योगिक मूल्यों में सन्तुलन होना चाहिए। इसलिए ग्रामीण उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मात्र कृषि मूल्य आयोग का होना ही आवश्यक नहीं

है वरन उन्हें कम मूल्य पर उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए वस्तु परिषदों अथवा मूल्य आयोगों की स्थापना की जाए।

पिछले वर्ष आपात स्थिति की घोषणा के समय राष्ट्र एक चौराहे पर खड़ा था। इस सदन में नए आर्थिक कार्यक्रम पर चर्चा के समय मैंने कहा था कि स्थिति में एक मोड़ आ रहा है। यह एक मोड़ ही था। आपात स्थिति से उत्पन्न हुई स्थिति का हमने पूरा लाभ उठाया है। राष्ट्र प्रगति और सामाजिक पुनर्गठन के नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हमारा सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि आपात स्थिति से प्राप्त लाभों को बनाए रखे, जो गतिशीलता आई उसे यदि बल न दे सके तो भी उसे बनाए रखें। राष्ट्रीय जीवन में आए परिवर्तन में यदि और सुधार न कर सकें तो वर्तमान परिवर्तन को बनाए रखें, तथा अपने लाखों देशवासियों और विशेष ग्रामीण भारत की शीघ्र उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1976-77 के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। क्योंकि खण्ड 2 और 3 पर को संशोधन नहीं हैं अतः मैं इन्हें मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 पर चार सरकारी संशोधन हैं।

संशोधन किए गए

पृष्ठ 7, पंक्ति 35 तथा 36,—

"or for the purpose of making or earning any income from any source in India"

("या भारत में किसी स्त्रोत से आय पैदा करने या अर्जित करने के लिए")

का लोप किया जाये (89)

पृष्ठ 8, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"Provided that nothing contained in this clause shall apply in relation to so much of the income by way of royalty as consists of lump sum consideration for the transfer outside India of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property, if such income is payable in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976 and the agreement is approved by the Central Government.

Explanation 1. For the purposes of the foregoing proviso, an agreement made on or atfer the 1st day of April, 1976 shall be deemed to have been made before that date if the agreement is made in accordance with proposals approved by the Central Government before that date; so, however, that, where the recipient of the income by way of royalty is a foreign company, the agreement shall not be deemed to have been made before that date unless, before the expiry of the time allowed under sub-section (1) or sub-section (2) of section 139 (whether fixed originally or on extension) for furnishing the return of income for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1977, or the assessment year in respect of which such income first becomes chargeable to tax under this Act, whichever assessment year is later the company exercises an option by furnishing a declaration in writing to the income-tax Officer (such option being final for that assessment year and for every subsequent assessment year) that the agreement may be regarded as an agreement made before the 1st day of April, 1976.".

परन्तु इस खण्ड की कोई बात स्वामिस्व के रूप में आय के उपने भाग पर जो कि किसी पेटेन्ट आविष्कार प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिन्ह या समरूप संपत्ति के बारे में किसी डाटा लेख, निर्देशन, रेखांकन या विनिर्देश के भारत से बाहर अन्तरण के लिए या पूर्वोक्तों की बाबत कोई जानकारी देने के लिए एकमुश्त प्रतिफल के रूप में है, उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें कि ऐसी आय 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में संदेय है और ऐसे करार का केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ।

स्पष्टीकरण 1—पूर्वगामी परन्तुक के प्रयोजन के लिए, 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया कोई करार उस तारीख के पूर्व किया गया तभी समझा जाएगा जब कि वह करार उस तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्थापनाओं के अनुसार किया गया है ; किन्तु जहां स्वामिस्व के रूप में आय प्राप्तकर्ता कोई विदेशी कम्पनी है, वहां करार उस तारीख के पूर्व किया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 अप्रैल, 1977 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसके संबंध में ऐसी आय इस अधिनियम के अधीन पहली बार कराधय होती है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती निर्धारणीं वर्ष है आय का विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के (चाहे वह मूलतः नियत समय है या बढ़ाया गया समय) अवसान के पूर्व ; ऐसी कम्पनी आय-कर अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा प्रस्तुत करके किसी विकल्प का (जो विकल्प उस निर्धारण वर्ष और प्रत्यक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम होगा) प्रयोग नहीं करती है कि ऐसा करार 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया करार समझा जाए ।)

(90)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

पृष्ठ 8 के, पंक्ति 14, Explanations ("स्पष्टीकरण") के स्थान पर "Explanation-2"

(स्पष्टीकरण-2) प्रतिस्थापित किया जाय । (91)

(श्री सी० सुब्रहमण्यम)

पृष्ठ 9, पंक्ति 23, "Assembly or" (समुच्चय या) के स्थान पर "Assembly mining or" (समुच्चय खनन या) प्रतिस्थापित किया जाय।

(92)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 5

अध्यक्ष महोदय : नियम 80 (1) के स्थगित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव है :

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक यह वित्त विधयक, 1976 के सरकारी संशोधन संख्या 93 पर लागू होता है और जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि संशोधन विधयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो और सम्बन्धित खंड की विषयवस्तु से संगत हो, निलम्बित करती है और कि इस संशोधन को पेश करन की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक यह वित्त विधेयक, 1976 के सरकारी संशोधन संख्या 93 पर लागू होता है और जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो और सम्बन्धित खंड की विषयवस्तु से संगत हो, निलम्बित करती है और कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संशोधन किया गया :

Amendment was made :

पृष्ठ 10, पंक्ति 29 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

'(c) in clause (17), for the words "any Committee thereof;", the words "any Committee thereof or any allowance received by a member of either House of Parliament under the Members of Parliament (Additional Facilities) Rules 1975;" shall be substituted.'.

(ग) खण्ड (17) में, "उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किया गया हो" शब्दों के पश्चात "या कोई ऐसा भत्ता जो संसद् सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) नियम, 1975 के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य द्वारा प्राप्त किया गया हो" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(93)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 और 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 और 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 19, पंक्ति 6 और 7, "referred to in sub-section (2) of section 32"[धारा 32 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट] के स्थान पर "referred to in this section or in sub-section (2) of section 32" (इस धारा या धारा 32 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट) रखिए । (94)

पृष्ठ 19, पंक्ति 13, "deduction" (कटौती) के स्थान पर "deductions" (कटौतियों) रखा जाए ।

पृष्ठ 20, पंक्ति 36 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए : (95)

"gross amount of such royalty or fees as reduced by so much of the gross amount of such royalty as consists of lump sum consideration for the transfer outside India of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property".

(स्वामित्व या फीस की सकल रकम को जिसमें से ऐसे स्वामित्व की सकल रकम का इतना भाग कम कर दिया गया है जो किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र

या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति से संबंधित किसी डाटा, दस्तावेज, रेखाचित्र या विनिर्देश के भारत के बाहर अन्तरण के लिए या भारत के बाहर उनके संबंध में कोई जानकारी देने के लिए एकमुश्त प्रतिफल के रूप में है बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;)

(96)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

पृष्ठ 21, पंक्ति 11 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित कीजिए :

"(d) royalty received from an Indian concern in pursuance of an agreement made by a foreign company with the Indian concern after the 31st day of March, 1976 shall be deemed to have been received in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976 if such agreement is deemed, for the purposes of the proviso to clause (vi) of sub-section (1) of section 9, to have been made before the 1st day of April, 1976.".

(घ) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किसी भारतीय समुत्थान के साथ किसी विदेशी कम्पनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त स्वामिस्व 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किए गए करार के अनुसरण में प्राप्त किया गया तभी समझा जाएगा जब ऐसा करार धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के परन्तुक के प्रयोजन के लिए 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किया गया समझा जाए ।)

(97)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 94; 95; 96 और 97 मतदान के लिए रखता हूं ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10, as amended was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 से 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 11 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clauses 11 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 17

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 17 के लिए एक सरकारी संशोधन तथा नियम 80(1) को स्थगित करने वाला प्रस्ताव भी है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक यह वित्त विधेयक, 1976 के सरकारी संशोधन संख्या 98 पर लागू होता है और जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि संशोधन विधयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो और सम्बन्धित खंड की विषयवस्तु से संगत हो, निलम्बित करती है और कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक यह वित्त विधेयक, 1976 के सरकारी संशोधन संख्या 98 पर लागू होता है और जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो और सम्बन्धित खंड की विषयवस्तु से संगत हो, निलम्बित करती है और कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22, पंक्ति 26 से 33 के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1977, namely :—

"(1) In computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions, of this section,—

(i) in a case where the aggregate of the sums specified in sub-section (2) includes any sum specified in sub-clause (vii) of clause (a) thereof, an amount equal to the whole of such sum *plus* fifty per cent. of the balance of such aggregate; and

(ii) in any other case, an amount equal to fifty per cent. of the aggregate of the sums specified in sub-section (2)."

(b) in clause (a) of sub-section (2), with efiect from the 1st day of April, 1977,—

(i) in sub-clause (v), for the words "for any charitable purpose;", the words "for any charitable purpose other than the purpose of promoting family planning; or" shall be substituted;

(ii) after sub-clause (v), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(vi) any authority referred to in clause (20A) of section 10; or

(vii) the Government or to any such local authority, institution, or association as may be approved in this behalf by the Central Government, to be utilised for the purpose of promoting family planning;".

("(क) उप धारा (1) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 1977 से निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात:—

"(1) किसी निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में, इस धारा के उप बन्धों के अनुसार और अधीन रहते हुए निम्नलिखित की कटौती की जाएगी,—

(i) उस दशा में जिसमें कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि के योग में उसके खण्ड (क) के उपखण्ड (vii) में विनिर्दिष्ट कोई राशि सम्मिलित है, ऐसी संपूर्ण राशि के बराबर रकम धन ऐसे योग के अतिशेष का पचास प्रतिशत ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि के योग के पचास प्रतिशत के बराबर रकम।"

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (क) में, 1 अप्रैल, 1977 से, —

(i) उपखण्ड (v) में, किसी खैराती प्रयोजन के लिए शब्दों के स्थान पर "परिवार नियोजन को प्रोन्नत करने के प्रयोजन से भिन्न किसी खैराती प्रयोजन के लिए ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

(vi) धारा 10 के खण्ड (20क) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी ; या

(vii) सरकार या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, संस्थान या संगम को जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे,

परिवार नियोजन को प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए उपयोजित;";)

(98)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

पृष्ठ 22, पंक्ति 34, '(b)' [(ख)] के स्थान पर "(c)" [(ग)] रखा जाए।

(99)

पृष्ठ 22, पंक्ति 36 के स्थान पर "and figures sub-clauses (iv), (v), (vi) and (vii) shall be" रखा जाये। (100)

पृष्ठ 23, पंक्ति 1, '(c)' [(ग)] के स्थान पर '(d)' [(घ)] रखा जाए।
(101)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 98, 99, 100 और 101 मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 17, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 18 के लिए सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 26 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"specified in items 2 and 3, item 4 (excluding alloy, malleable and S.G. iron castings), items 7 to 15 (both inclusive), items 17 and 18, item 23 (excluding refractories) and items 24, 26, 27 and 29 in the list in the Ninth Schedule".

(नवम अनुसूची की सूची में मद 2 और 3, मद 4 (मिश्रधातु, धातुवर्धनाय और एस० जी० लोहे की ढलाई को छोड़कर) मद 7 से 15 (जिसमें से दोनों मदें भी सम्मिलित हैं) मद 17 और 18, मद 23 (उच्च तापस को छोड़कर) और मद 24, 26 27, और 29 में विनिर्दिष्ट)
(102)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 18, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 19 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 19 was added to the Bill

खण्ड 20

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 20 के लिए एक सरकारी संशोधन है :

संशोधन किया गया

पृष्ठ 24, पंक्ति 6 "115A. Where" ("115क, जहाँ") के स्थान पर "115A (1) Subject to the provisions of seub-section (2) where" ("115क. (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां) रखा जाए ।

पृष्ठ 25, पंक्ति 9 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :—

"(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply in relation to any income by way of royalty received by a foreign company from an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Indian concern after the 31st day of March, 1976 if such agreement is deemed, for the purposes of the proviso to clause (vi) of sub-section (l) of section 9, to have been made before the 1st day of April, 1976; and the provisions of the Annual Finance Act for calculating, charging, deducting or computing income-tax shall apply in relation to such income as if such income had been received in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976".

[(2) उपधारा (1) की कोई बात स्वामित्व के रूप में किसी आय के संबंध में लागू न होगी, जो किसी विदेशी कंपनी के किसी भारतीय समुत्थान के साथ 31 मार्च, 1976 के पश्चात किसी करार के अनुसरण में ऐसे भारतीय समुत्थान से उस दशा में प्राप्त किया है जिसमें ऐसा करार धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के परन्तुक के प्रयोजन के लिए, 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया समझा जाए और आय-कर की गणना, प्रसारण, कटौती या संगणना करने के लिए वार्षिक वित्त अधिनियम के उपबन्ध ऐसी आय के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसी आय 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त हुई थी ।]

(104)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 20, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 21 से 24 के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 से 24 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 21 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clauses 21 to 24 were added to the Bill.

खण्ड 25

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर निम्न लिखित रखा जाए :

"25. In the Ninth Schedule to the Income-tax Act,—

(a) for item 4, the following item shall be substituted, namely :— "4. Steel castings and forgings and alloy, malleable and S.G. Iron castings.":

(b) after item 24 and before the Explanation, the following items shall be inserted, namely:-

(25. आय-कर अधिनियम की नवम अनुसूची में,—

(क) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :—

4. "इस्पात की ढलाई और फोर्ज तथा मिश्र धातु, धातुवर्धनीय और एस० जी० 35 लौह की ढलाई ।" ;

(ख) मद 24 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित मदें अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—) (105)

(श्री सी सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 26, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27

श्री दीनन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 2 से 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 28 से 31, 53 से 60 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 26, "shall" (जाएगी) के स्थान पर "may, at the option of the assessee" (निर्धारिती के विकल्प पर वह कीमत समझी जा सकेगी) रखा जाए ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Some people in the country have a lot of money but these moneyed people may not like to invest their money in the development of industry and in view of this maximum tax should be imposed on their wealth. It has been our experience that these moneyed people misused their money for black marketing and other anti-social activities. They would not like to invest their wealth for the development of industries and factories. Therefore Government should make efforts to take out maximum money from these people. So upto the limit of Rs. 5 lakhs the rate of tax should be raised from $\frac{1}{2}$ percent to 1 percent. Then for a slab of Rs. 5 to 10 lakhs, the tax proposal is Rs. 2,500 and the rate of taxation is $1\frac{1}{2}$ percent. This should be raised to Rs. 5,000 and the rate of $1\frac{1}{2}$ percent be raised to 3 per cent. In this way we should try to take out maximum money from them. Then for a slab of Rs. 10 to 15 lakhs the tax proposal is Rs. 10,000 and the rate of taxation is 2 percent. This should be raised to Rs. 20,000 and the rate of taxation should be raised from 2 percent to 4 percent. Moneyed people should be taxed heavily and poor people should be given some relief.

अध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम मैं श्री दीनेन भटटाचार्य द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 2 से 7 तक को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 106 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न है कि :—

"पृष्ठ 32, पंक्ति 26 में "shall" (जाएगी) के स्थान पर "May at the option of the assessee" (निर्धारिती के विकल्प पर वह कीमत समझी जाएगी) प्रतिस्थापित किया जाये । (संख्य 106)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :—

"कि खंड 27 संशोधित रूप में विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 27 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

खंड 28 से 31 विधेयक मेंजोड़ दिए गए ।

Clauses 28 to 31 were added to the Bill.

खण्ड 32

संशोधन किया गया

पृष्ठ 38, पंक्ति 7 के बाद निम्निलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

'Provided that on and from the date on which the Customs Tariff Act 1975 comes into force, this sub-section shall have effect subject to the modification that for the words "First Schedule to the Tariff Act", the words and figures "First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975" shall be substituted.

(परन्तु सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रवृत्त होने की तारीख से यह उपधारा इस उपांतर के अधीन लागू होगी कि "टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची," शब्दों के स्थान पर "सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।) (88)

(श्री० सी० सुब्रह्मण्यम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 32 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 32 संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 32 as amended, was added to the Bill.

खंड 33 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 33 to 43 were added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 8 से 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रानेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 61 से 72 तक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : छूट सीमा 8,000 रुपये निर्धारित की गई है । यह बढ़ाकर 10,000 रुपये की जानी चाहिए । ताकि निर्धन वर्ग के कर्मचारी कुछ सीमा तक राहत पा सकें । आजकल के समय में 10,000 रुपये का क्या मूल्य है ?

श्री रानेन सेन : मेरा संशोधन यह है कि छूट सीमा 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी जानी चाहिए । औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए गए संशोधन से कर्मचारी की परिभाषा को बदल दिया गया है । इसके अन्तर्गत 750 रुपये प्रतिमास या 8 हजार रुपये प्रतिवर्ष पाने वाले कर्मचारी भी आ जाते हैं । इससे तो ये कर्मचारी भी आयकर के अन्तर्गत आ जायेंगे मेरा विचार है कि यह 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया जाना चाहिए ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दिनेन भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 8,9 10 तथा 11 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रानेन सेन द्वारा प्रस्तूत संशोधन संख्या 61 से 72 को समा के मतदान के लिए रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथमअनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The first schedule was added to the Bill.

दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Second and Third Schedules were added to the Bill.

चौथी अनुसूची

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 12 से 15 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 36, 37 तथा 39 पेश करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विधेयक में कहा गया है कि अविलपित और विलपित मुद्रण तथा लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न) पर तथा मूल्य 25 प्रतिशत होगा और दूसर पर यह 30 प्रतिशत होगा । "25 प्रतिशत" और "38 प्रतिशत" के स्थान पर मैंने "दस" और "पंद्रह" प्रतिशत यथामूल्य रखने का सुझाव दिया है । क्योकि ऐसे कागजों तथा कागज बोर्ड का उपयोग साधारण लोग करत हैं अतः मेरे संशोधन संख्या 12 और 13 यथामूल्य शुल्क कम करने के लिए हैं ।

विधेयक में कहा गया है कि सूती कपड़ा, मध्यम एंव अर्थात ऐसा कपड़ा जिनमे सूत का औसत काउन्ट 17 या अधिक है किन्तु 26 से कम है, पर मूल्य का 3 प्रतिशत शूल्क होगा । मेरा संशोधन यह है कि इसे 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये । इससे निम्न और मध्यम वर्ग के उपयोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी ।

ऐसा सूती कपडा जिसमें सूतका औसत 17 काउंट स कम है, उस पर भी यथा मल्य शल्क 3 प्रतिशत लगाया गया हैं इसे घटाकर एक प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग अधिकांशतः जनसाधारण द्वारा किया जाता है । विधेयक म जो शुल्क दर निर्धारित की गई है उससे जनसाधारण पर भार पडेगा । सरकार हमेशा यह घोषणा करती है कि वह गरीब लोगों की ओर ध्यान दगी । किन्तु विधेयक में इन वस्तुओं पर जो शल्क की दर निर्धारित की गई है उससे ऐसे लगता है कि समाज के समृद्ध वर्ग पर निर्धन वर्ग की तलना में कम भार पडेगा । यदि सरकार अपने वचन की पक्की है तो उसे मेरे संशोधन स्वीकार करने चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri: Paper is a commodity widely used by poor people. So the 25 percent ad valorem duty on it should be reduced to 15 percent and the rate of 80 percent should be brought down to 20 percent. It is unfair on the part of Government not to reduce it.

Similarly in regard to textiles, it is also a commodity of common use and so, the duty of 3 percent on it should be reduced to 2 percent and the duty of 3 percent on cotton fabrics should also be reduced to 1½ percent. In any case the tax on paper and textile should be reduced.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। हमने कागज के प्रश्न पर विचार किया है। और हमने कुछ रियायतें भी दी है जिनके लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। विद्युत चालित करघों द्वारा निर्मित किए जाने वाले कपड़ों में हमने कुछ रियायत दी है। इस सम्बन्ध में भी अधिसूचनाएं जारी कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दिनेन भट्टाचार्य द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Fourth Schedule was added to the Bill.

पांचवी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Fifth Schedule was added to the Bill.

छठी अनुसूची

श्री दीनन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 16 से 27 तक पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 40 से 51 और 82 पेश करता हूं।

डा० रानेन सेन : मैं संशोधन संख्या 73 से 81 तक पेश करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : औषधियों में थोड़ी बहुत अल्कोहोल उपयोग में लाई जाती है, किन्तु इस पर शुल्क बढ़ा दिया है। इसका समाज के कमजोर वर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इन दरों में कमी की जानी चाहिए। ताकि जनसाधारण को इसका कुछ लाभ पहुंचे।

डा० रानेन सेन : पेटेन्ट दवाइयों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बढ़ाये जाने से आम जनता पूर्ण तया संकट में पड़ गई है।

एम्पीसिलिन आदि दवाइयों पर सीमा शुल्क 20 से 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। वर्तमान 7.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क से 27 करोड़ रुपये की वसूली होती है। अब इस अतिरिक्त शुल्क से 18 करोड़ रुपये और मिलेंगे। इस प्रकार इससे कुल 45 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके अतिरिक्त संश्लिष्ट दवाइयों पर 75 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाता है। औसत शुल्क 60 प्रतिशत के लगभग है और कुल 45 करोड़ रुपये की औषधियों का आयात होता है जिस पर 65 प्रतिशत शुल्क लगता है। इस प्रकार यह राशि 74 करोड़ पर बैठती है। इससे पता चलता है कि दवाइयों पर विभिन्न रूप से लगने वाले करों से बड़ी राशि वसूल की जाती है।

सरकार ने कहा है कि दवाइयों के मूल्य कम किए गए हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि सभी दवाइयों के उपादानों के मूल्य बढ़े हैं। यह तो लोगों को केवल धोखा देना है कि सरकार के प्रयासों से दवाइयों के मूल्य गिरे हैं। यह सर्वथा असंभव है क्योंकि कच्चे माल पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सभी प्रकार के टानिकों और उन दवाइयों का मूल्य बढ़ जायेगा जिनमें कुछ अल्कोहोल की मात्रा होती है।

बिना किसी सोच विचार के निर्णय लेकर सरकार होमियोपैथी, एलोपैथी यूनानी और आर्यूवेदिक दवाइयों का मूल्य बढ़ाने जा रही है। इसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत दवाइयों आ जायेगी और केवल 10 प्रतिशत को ही छुट मिलेगी। यह सरकार का अमानवीय और अनैतिक कृत्य है। अतः दवाइयों पर लगे शुल्क को कम किया जाना चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। यह शुल्क केवल पेटेंट दवाइयों पर ही लगाया गया है। कम्पनियों के पेटेन्ट नामों के आधार पर ही ये दवाइयां अधिक मूल्य पर बिकती हैं जबकि ये कम मूल्य पर मिल सकती हैं। इसीलिए उनके मूल्य में वृद्धि की गई है। जिन दवाइयों में अल्कोहोल का उपयोग होता है, उनका मामला राज्यों के अधिन है क्योंकि इसका उपयोग आम वस्तुओं के साथ नहीं करना चाहिए इसीलिए हमने इस पर शुल्क बढ़ाया है। निर्धन वर्ग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 16 से 27 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 40 से 51 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए ।
The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रानेन सेन द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 74 से 81 तक और श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 82 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए ।
The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"पृष्ठ 77, पंक्ति 13 से 16 में "20 प्रतिशत: यथामूल्य अथवा तीन रुपये 75 पैसे" के स्थान पर "एक प्रतिशत यथामूल्य या 35 पैसे" प्रतिस्थापित किया जाये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	10	विपक्ष में Noes	102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं छठी अनुसूची को सभा के मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है :--

"कि छठी अनुसूची विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।
The Sixth Schedule was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है । अत: मैं उन्हें एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :--

"कि खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप से पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव किया :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक की आलोचना कुछ विचारधाराओं के आधार पर की गई है । किन्तु हमारा मुख्य आरोप यह है कि यह विधेयक भी किन्हीं विचारधाराओं को सामने रखकर लाया गया है । बजट प्रस्तावों में बड़े व्यापारियों और एकाधिकारियों को अभूतपूर्व रियायतें दी गई हैं ।

वित्त मंत्री का यह कहना सही है कि हमें आपात स्थिति से प्राप्त आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को बनाए रखना चाहिए । परन्तु हम अनुभव करते ह कि इसके पीछे एक विचार धारा है और यदि उस विचारधारा पर चला जाता है तो आपात स्थिति से हुए लाभ को हम बनाए नहीं रख पायेंगे बल्कि यह धीरे-धीरे समाप्त हो जायगे ।

वित्त मंत्री का यह कहना सही है कि हमें आपात स्थिती से प्राप्त आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को बनाए रखना चाहिए । लेकिन हम महसूस करतें हैं कि इसके पीछे एक विचारधारा काम कर रही है जिसपर चलकर हम आपात स्थिति के लाभों को कायम नहीं रख पायेंगे बल्कि वे शनैः शनैः समाप्त हो जाएंगे ।

इस बजट में देश की आर्थिक दशा सुधारने हेतु व्यापारियों और एकाधिकारियों पर पूरी तरह निर्भर किया गया है । थोक मूल्य सूचकांक 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ गया है और निर्मित वस्तुओं का मूल्य सूचकांक 3 तिशत बढ़ गया है । यह कहा जा सकता है कि यह बहुत कम और अस्थायी है । यह एक शुरूआत हो सकती है कि सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के बाद भी मूल्य बढ़े हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि इन व्यापारियों ने अपनी वे गतिविधियां फिर से चालू कर दी हैं जिन पर आपात स्थिति के आरम्भ में अंकुश लगा हुआ था । खबर है कि तस्करी का जो सामान बाजार से गायब हो गया था वह अब फिर से देश म नजर आने लगा है । ये लोग सदैव उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयत्न करते रहे हैं और साथ ही उन्हों ने सरकार पर जोर डाला है कि उन्हें और रियायतें दी जाएं । ये अपनी मिलों को ठीक प्रकार से चलाने में बाधा उपस्थित करके सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं ।

सम्पत्ति कर को कम करना उचित नहीं । समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रियायत इस कर में क्यो दी गई है ? हम नहीं जानते कि आप के और स्त्रोत अब कहां से आयेंगे ? योजना परिव्यय में वृद्धि का हमने स्वागत किया था । इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह रियायतें देनें के बारे में भली भांति विचार न ीं किया गया है तथा आपात-स्थिति में हुआ लाभ इसके कारण समाप्त हो जायेगा । यह एक बड़ी खतरनाक नीति है और इसलिए हमारा दल इसका विरोध करता है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : श्रीमन्, रियायतें दे कर उत्पादन बढ़ाना इस बजट का लक्ष्य है । लेकिन हम यह जानना चाहते हैं इन रियायतों से हमारे देश के निर्धन लोगों की अधिक क्रय शक्ति और उनके लिये उपभोक्ता वस्तुएं कैसे उपलब्ध की जा सकती हैं । कृषि उद्योग के विकास के लिये बजट में नियत की गई 12 करोड़ रुपये की बहुत कम राशि से यह उदेश्य पूरा नहीं होगा ।

[श्री वसन्त साठे]

मूल विकास छूट के स्थान पर राशि निवेश भत्ते की नई योजना का सुझाव दिया गया है। लेकिन गोआ के लोह पिंड निर्यात उद्योग को उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम विशेषतया मूल्यों के मामलों में सदैव सचेत रहेंगे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फिति रूपी राक्षस फिर से सिर न उठा सके। हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएंगे और हम इस पर निरन्तर विचार करते रहेंगे। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, आशा है यह क्षेत्र अपने आपको परिस्थिति के अनुकूल ढालेगा।

जहां तक खान उद्योग का सम्बन्ध है, राशि निवेश भत्ता भावी राशि निवेश के लिए ही बनाया गया है। खनन कार्य अब पूर्णत: सरकारी क्षेत्र द्वारा ही किया जाएगा और इसलिए खान उद्योग में राशि निवेश करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को राशि निवेश भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha was divided.

पक्ष में Ayes	99	विपक्ष में Noes	14

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till forty-five minutes past fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 48 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at forty-eight minutes past fourteen of the Clock.

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक
COAL MINES (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत): देश की कोयला खानों का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया है। प्रथम कोकिंग कोयला खानों का 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर गैर कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन कदमों का यह उद्देश्य था कि कोयला खानों का सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रबन्ध किया जाये। और उन्हें चलाया जाये तथा उनका स्वामित्व भार उठाया जाये।

कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले यह पता लगाया गया था कि इनकी संख्या कितनी है तथा इनके सम्पूर्ण दस्तावेजों की जांच की गई थी। राज्य

सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध किये गए रिकार्डों के अनुसार कुल 925 खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तदुपरान्त मुख्यत: बिहार में ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आये जहाँ गैर-सरकारी लोगों ने कोयला खाने पट्टे पर ले रखी थीं और इन लोगों ने इन खानों में कार्य आरम्भ किया तथा राष्ट्रीयकरण के बाद भी बिना किसी समुचित प्राधिकार के कोयला निकालते रहे। पता चला है कि केवल बिहार में ही लगभग 450 व्यक्तियों ने पट्टे पर खाने ले रखी थी।

यह भी पता चला है कि इनमें से अनेक मामलों में अनधिकृत रूप से खनन कार्य आरम्भ किया गया है जो गैर-वैज्ञानिक तरीके से हो रहा था, तथा सुरक्षा के उपायों तथा मानकों का पालन नहीं किया गया तथा खनन कार्य अत्यन्त निर्दयतापूर्वक कराया जाता था। यह कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कोयला खानों के विकास की दीर्घकालीक दृष्टि से भी अवांच्छनीय है।

कोयला खानों के सम्यक वैज्ञानिक कार्यकरण के लिए हमें खानों की योजना बनाने हतु कोयला की मात्रा, एवं कोयला भण्डारों के आकार का पता लगाने के लिए कि कितना कोयला निकाला जा सकता है, भूवैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त करने चाहिए। इस कार्य के लिए विस्तृत खोज करनी होगी। जब तक न सभी बातों का पता नहीं चलता इन क्षेत्रों से वैज्ञानिक तरीके से कोयला निकालना सम्भव नहीं है। जब यह सभी जानकारी प्राप्त नहीं होती राष्ट्रीयकृत क्षेत्र यह कार्य नहीं कर सकता इसलिए यह निर्णय किया गया है कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का इस तरह से संशोधन किया जाये ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों के पट्टों को छोड़ कर शेष सभी गैर-सरकारी पट्टे रद्द कर दीये जाये।

विधेयक में उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या निगम अन्वेषण कार्य और जांच पूर्ण करने के बाद खनन कार्य के पट्टे ले सकती है। विधेयक में यह उपबन्ध भी किया गया है कि जहां केन्द्रीय सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम किसी क्षेत्र में खनन कार्य करना नहीं चाहते तो गैर-सरकारी पक्षों या राज्य सरकार, या राज्य सरकार के किसी निगम को शिकमी पट्टे दिए जा सकते हैं। 29 अप्रैल, 1976 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें गैर-सरकारी तौर पर लिए गए पट्टों को रद्द करने और उसको कार्य रूप देने के लिए सरकार की घोषणा के बीच कोई अन्तराल न रहने पाये।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत विलम्ब किया है। इससे यह पता चलता है कि निहित स्वार्थों का राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में बहुत प्रभाव था। इस विधेयक के माध्यम से उठाया जाने वाला यह कदम अन्यमनस्कता से उठाया गया है। सरकार अब भी कुछ गैर-सरकारी स्वामित्व वाली खानों के बारे में पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है और इनका राष्ट्रीयकरण भी नहीं हो रहा है। उन्हें फिर शिकमी पट्टे पर देने का उपबन्ध है और इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि शिकमी पट्टों के रूप में कुछ लोग मुनाफा कमाने और सुरक्षात्मक कानूनों के विरुद्ध कोयला खानों से कोयला निकालने के लिये इन्हें पट्टे पर नहीं लेंगे।

सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिससे सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी क्योंकि सरकार को वैज्ञानिक तरीके से खानों से कोयला निकाल सकती है।

इस विधेयक को लाने का एक कारण यह भी है जैसा कि विधेयक के कारणों और उद्देश्यों को बताने वाले विवरण में उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखा जाय। लेकिन इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इस बात पर प्रकाश डालना

[श्री समरमुखर्जी]

चाहिए कि गैर-सरकारी पट्टेधारियो के अधीन इन खानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य के बारे में क्या विचार किया गया है।

सरकार को सुरक्षा के पहलू वैज्ञानिक अन्वेषण और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखे हुए एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I support this Bill and congratulate the hon. Minister from bringing it so urgently.

It is not a question of coal mines alone. All the mines in the country should be nationalised because all the private sector parties take the mines on contract and extract in arbitrary manner due to which we incur huge national loss.

When Bill for nationalisation was brought here in 1973 I requested to modernise the coal mines. I think that very few people should be made to work underground. We are not employing scientific methods for operating our mines. This can minimise the chances of loss of human lives in the event of accidents.

It must be ensured that security measures are properly and strictly observed in all the nationalised mines. Recurrence of accidents like that of Chasnale should be avoided at all costs.

उपाध्यक्ष महोदय : इन खानों में कार्य कैसे हो, उनके सुधार कैसे लाया जाये यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें उचित समय पर लिया जाना चाहिए।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था और इस विधेयक को लाने में 4 वर्ष लग गये हैं। इस दौरान सरकार को 400 अनधिकृत खानों का पता लगा है। इससे पता चलता है कि 1973 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया। ऐसी खानों की संख्या 400 है तथा उनमें से अधिकांश बिहार में स्थित है। यह न तो इस्पात और खान मंत्रालय और न ही बिहार सरकार के लिये शोभनीय है।

पिछले वर्ष समाचार पत्रों में यह चर्चा चली तथा कुछ श्रमिक संगठनों ने बिहार सरकार को अवैध कृत्यों की जानकारी दी।

खान मालिक कोयला तो निकाल लेते है परन्तु खाली जगह को भरते नहीं है जिससे उलटी बखार तथा धनबाद क्षेत्रों में भय है।

विधेयक में गैर-कानूनी खानों को वैध करार देने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उन सभी 400 खानों को अपने अधिकार में ले सकती है और फिर उसी व्यक्ति को या अधिक बोली लगाने वाले को ये पट्टे पर दे सकते हैं और उसे इन खानों में कार्य करने को कहा जा सकता है। यह उचित नहीं है। सरकार को ये खाने बहुत पहले ही अपने अधिकार में करनी चाहिए थी। या उन्हें संचालित करने के लिये सरकारी समिति गठित करनी थी।

Shri M. C. Daga (Pali) : The Coal mines were nationalised on 1-5-72 and 1-5-73. Since then there has been considerable progress in the production of coal. The private mine owners were operating in unscientific way. A lot of coal is destroyed and the security of coal mines is neglectd. I am glad that the mines have been taken over by the Government. Would the Government pay compensation to these mine owners whose lease has been terminated.

The railways are getting coal of inferior quality. The Government should look into it.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : No body objects to the objects of the bill. The Government want to take over mainly the mines operating in unauthorised manner. Such mines are operative in the districts of Dhanbad, Jharia, Giridih, Santhal and Pargana. These people are earning a lot of profit at the cost of loss to the nation. As far as I know there are persons in the Government of Bihar who want that the coal mines may continue in an authorised manner.

No private persons should be given coal leases. There should be no provisions in the bill which should empower the government to give lease to any private person.

It appears that the Bihar Government did not support the measures wholeheartedly. Perhaps certain persons are interested in status quo.

The workers of the coal mines which the government is taking over—should be absented by the government in their mines. Their service conditions should be the same as are applicable to other workers in government mines.

Sarder Swaran Singh Sakhi (Jamshedpur) : I welcome this Bill. The government should rather have brought this measure earlier. At the time of nationalisation of coal mines I suggested that the coal mines of the type now considered should not be left to private owners.

Unauthorised work is of two types; one by these holding lease as being in an unauthorised manner. The other is doing without any licence on lease.

The Dhanbad miners get an injunction from Calcutta High Court on the day ordinance was promulgated. The government should take suitable steps to meet this situation.

Unauthorised mining is going on in Hazaribagh and Dhanbad. Theft of coal is also taking place with the connivance of government officials. Strict action should be taken against these officials. The objectives of the Bill could be achieved only if the government machinery functions properly.

It is not correct to say that the Bihar Government do not support this measure whole-heartedly is not correct. Bihar government has been urging the Central government for early nationalisation of these mines.

If a survey is conducted it would reveal that all mines have not been included in the list of mines for nationalisation. Unauthorised mining is still going on. The Minister should take steps to ensure that all unauthorised mining is stopped.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Shri Pant always rises to the occasion. First submission which I want to make with regard to this Bill is that the coal miners who indulge in theft of coal should be given strict punishment. Secondly the officers who associate themselves with such like thefts should also be brought to book. Strong action should be taken against them.

Shri S. C. Besra (Dumba): While supporting the Bill I want to submit that a good number of Adivasis and working in the local mines which are likely to be taken over by the Government. So such Adivasis should be absorbed by the Government in their mines.

Secondly the mines which will be taken over by the Government should be run by the Coal Corporation. If Corporation is not interested to run these mines, these may be run on co-operative basis. But it should be ensured that the private owners or their relatives are not allowed to enter into management of these mines.

Shri Ram Deo Singh (Maharajaganj): The coal field workers society should be made eligible to get lease if they desire for the same.

ऊर्जा मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : यह सन्तोष का विषय है कि इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मेरे मित्र श्री समर मुकर्जी ने प्रश्न किया है कि हम कोयला खान (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1973 या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का आश्रय क्यों नहीं लेते। यह भी कहा गया है कि इस में काफी देरी की गई है और यह कार्यवाही बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी। जहां तक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में इसी अधिनियम के अन्तर्गत 54 पट्टों के मामलों में कार्यवाही की है और बिहार सरकार को निदेश दिया है कि गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा लिए गए 54 पट्टों को समय से पूर्व ही रद्द कर दिया जाये। ये पट्टे एक सरकारी कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को पुनः दे दिए गए है। अतः यह कार्यवाही विशिष्ठ मामलों में ही की गई है लेकिन ये बेकार खाने है जिनमें कोई कार्य नहीं होता था। इस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि यदि खनन पट्टे समाप्त कर दिये जायें तो सरकार को वे खाने अपने अधिकार में करनी होती है चाहे उनमें वैज्ञानिक तरीके से कार्य न होता हो। फिर सरकार ने उन कर्मचारियों को भी काम पर ले लिया है जो गैर-सरकारी पट्टे धारियों की खानों में काम करते थे। ऐसे मामलों में जहां खनन कार्य अधिक नहीं है वहां कोई अधिक कठिनाई नहीं है और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने उन खानों को अपने अधिकार में ले लिया है। अब हम यह जांच करेंगे कि क्या इन में खनन कार्य जारी रखा जाये या नहीं। लेकिन पुराने पट्टों को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है और इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया है, और सरकारी कम्पनी ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया है। लेकिन कुछ अन्य मामलों में जाली नामावलियां हैं फिर भी उन सभी लोगों को कोयला उद्योग में लिया गया है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत कोयला खान उद्योग में आरम्भ से ही श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है राष्ट्रीयकृत कोयला खान उद्योग की एक समस्या यह भी है कि फालतू लोगों को कैसे काम पर लगाया जाये। हम किसी व्यक्ति की छंटनी करना नहीं चाहते है। गत दो वर्षों में उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने से हम अधिकाधिक लोगों को काम पर लगा सके हैं। लेकिन फिर भी कुछ फालतू कर्मचारी पाये गए हैं। इस-लिए इनकी संख्या में और अधिक वृद्धि करना सरकारी क्षेत्र के कोयला खान उद्योग के लिए हित में नहीं हैं।

हमें ऐसी एहतियात बरतनी है जिससे हम गैर-सरकारी पट्टेधारियों द्वारा काम पर लगाये लोगों को अधिक संख्या में अपने यहां न लें। कुछ मामलों में उन्होंने श्रमिकों से काम पर आने

के लिए और अपना काम दिखाने के लिए कहा है कि यदि उन्होंने समयोपरि कार्य किया तो अगले दिन सरकार उस खान को अपने अधिकार में ले लेगी और उनकी नौकरी बनी रहेगी तथा वे सरकारी कम्पनी के कर्मचारी बन जायेंगे। अतः हमें यह देखना है कि ऐसा न हो।

कोयला खान (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम के अन्तर्गत भी हम यह कार्यवाही कर सकते है। मैंने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में संक्षेप में स्पष्ट किया है कि हमने इस अधिनियम का आश्रय क्यों नहीं लिया। यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय तो सरकार को अनाधिकृत खानों के मालिकों को भी धन देना पड़ेगा तथा वहां काम करने वाले श्रमिकों को भी काम पर लगाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान कानून के अन्तर्गत हमें कुछ भी धन राशि नहीं देनी पड़ेगी।

चर्चा के दौरान सुरक्षा का प्रश्न भी उठाया गया था। हम सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सचेत हैं और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि विधेयक पुरःस्थापित करने से पूर्व भण्डारों का पता तथा अनुमान नहीं लगाया गया है। इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है और किसी को खान वाले क्षेत्र की सही जानकारी नहीं है। इसी कारण से हमने सभी पट्टे समाप्त कर दिए। अब सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भण्डारों का पता लगायेंगी और फिर उन विशेष खानों पर कार्य करने की आवश्यकता के बारे में निर्णय लेंगी। यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी क्षेत्र को हानि न हो और यह क्षेत्र कोयला खानों में समेकित ढंग से कार्य कर सके। यदि सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनी यह महसूस करती हैं कि उसके लिए किसी विशेष खान पर कार्य करना आवश्यक है तो उसे निश्चय ही प्राथमिकता मिलेगी। किन्तु यह बिल्कुल संभव है कि सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनी के ऊपरी खर्च ऐसे हैं कि वे अलग-अलग स्थानों पर कोयला खान के खनन को उपयोगी या लाभप्रद न समझे। अतः हमने विधेयक में यह उपबन्ध किया है कि यदि निर्धारित शर्तें संतोषजनक ढंग से पूरी की जाता है तो गैर-सरकारी पट्टाधारी को भी कोयला का खनन करने की अनुमति दी जा सकती है।

कई कर्मकारों को रोजगार दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि सभी कर्मकारों को रोजगार दिया जा सकता है। जब तक भण्डारों का ही पता नहीं लगाया जाता तथा जब तक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां यह कहने की स्थिति में नहीं होती कि इन खानों के लिए उन्हें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है तब तक मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं।

अनधिकृत रूप से खनन कार्य करने की बात उठाई गई है। जहां पट्टा नहीं दिया गया हो वहां इस तरह का खनन कार्य कोयला की चोरी करना है और राज्य की कानून और व्यवस्था प्राधिकार को इसे रोकना चाहिए।

कहा गया है कि बिहार सरकार इस विधान का दिल से समर्थन नहीं कर रही है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस विधान का बिहार सरकार पूरी तरह समर्थन करती है। बिहार सरकार ने इस विधेयक के लक्ष्यों को लागू करने में तत्परता दिखाई है।

एक सुझाव यह दिया गया है कि बिहार सरकार को उप-पटाधारी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे अलग नहीं रखा गया है। यह तो बिहार सरकार की मर्जी है कि वह उप-पटाधारी के रूप में कार्य करना चाहेगी। सरकारी क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड

[श्री के० सी० पन्त]

द्वारा इन भण्डारों का पता लगा लेने तथा सर्वेक्षण करने और उन्हें खनन योग्य न पाने के पश्चात ही राज्य सरकार सामने आ सकती है इसके पश्चात ही प्रश्न उठेगा और उस समय मैं बिहार को इस कार्यहेतु सामने आने से नहीं रोकूंगा।

अधिकारियों का उल्लेख किया गया है मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कुछ अधिकारी कोयले की चोरी के लिए दोषी ठहराये जा सकते है किन्तु सभी पर इस तरह का दोष लगाना अनुचित है। कोयला खनन उद्योग में अधिकारी उत्पादन वृद्धि के लिए दिन रात काम कर रहे है। कुछ एक अधिकारीयों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। किन्तु सभा को इस उद्योग में कार्य कर रहे अधिकांश अधिकारियों की सराहना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। सब से पहली बात है कि उसमें एक नया खण्ड 1 (ए) जोड़ा जाये।

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1 पंक्ति 4 के बाद जोड़ा जाये —

'Insertion of new section 1A.

1A. In the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (hereinafter referred to as the principal Act), after section 1, the following section shall be inserted, namely:—

"Declaration as to expediency of Union control.

1A. (1) It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation and development of coal mines to the extent hereinafter provided in sub-sections (3) and (4) of section 3 and sub-section (2) of section 30.

(2) The declaration contained in sub-section (1) is in addition to, and not in derogation of, the declaration contained in section 2 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957."'

(2)

(Shri K. C. Pant)

2. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

1क. (1) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इसमें इसके पश्चात् धारा 3 की उपधारा (3) और (4) और धारा 30 की उपधारा (2) में उपबन्धित विस्तार तक कोयला खानों का विनियमन और विकास संघ अपने नियंत्रण में ले ले ।

(2) उपधारा (1) में दी गई घोषणा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 2 में की गई घोषणा के अतिरिक्त है, उसके अल्पीकरण में नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 1 (ए) विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नया खण्ड 1(ए) विधेयक में जोड़ दिया गया ।

New Clause 1A was added to the Bill.

खण्ड 2

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5–7 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा ये —

"2. In section 3 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :—"

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित (3) उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 9, "commencement of" (प्रवर्तन) के पश्चात् "section 2 of" (की धारा 2) अन्तःस्थापित किया जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री कृष्ण चन्द्र पंत द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 3 और 12 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 के लिए प्रस्तुत किये गये श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन संख्या 5 से 9 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 10 और 11 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The Amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 को विधयक में जोड़ दिया गया ।

The motion was adopted.

खण्ड 4

संशोधन किया गया

Amendment made

Page 2, for lines 42-47 substitute—

"4. The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Ordinance, 1976, is hereby repealed.".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया

Amendment made

"Short title and commencement"

1. (1) This Act may be called the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act, 1976.

(2) Sections 1A and 2 of this Act shall be deemed to have come into force on the 29th day of April, 1976.

(1)

(Shri K. C. Pant)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 मई, 1976/28 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, May 18, 1976/Vaisakha 28, 1898 (Saka)

भा०स०मु०ना०—वि० 3—4 लोक सभा । 76-20-8-76—200.